-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा डीआर पब्लिक स्कूल में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों एवं साइबर अपराधों के प्रति किया गया जागरुक।**

विवरण- - आज दिनांक 10.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज द्वारा शहर क्षेत्र स्थित डीआर पब्लिक स्कूल में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरुक किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के बारें में जागरुक करते हुए दुर्घटना से बचने के लिये दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रुप से प्रयोग करने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, मोटरसाईकिल पर तीन सवारी न बैठने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने सम्बन्धी आवश्यक बातें बतायी गईं। साथ ही अपने परिवार / रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को भी इस सम्बन्ध में जाकरुक करने के लिये प्रेरित किया गया। यातायात नियमों के पालन करने के सम्बन्ध में भी जानकारी देते हुये नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने, बिना नम्बर प्लेट या गलत नम्बर प्लेट के वाहन न चलाने तथा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने के लिये जागरुक किया गया। साथ ही साइबर अपराधों से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराते हुए ओ.टी.पी. किसी व्यक्ति को साझा न करने, अनजान वीडियो कॉल रिसीव न करने, लॉटरी/ईनाम के कॉल, मैसेज के फ्राड होने की सम्भावना होने, अनजान व्यक्ति को यूपीआई पिन न बताने, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग एप (जैसे एनी डेस्क, क्वीक सपोर्ट, टीमव्यूवर, स्क्रीन मिरर आदि) अपने फोन में कभी भी इंस्टाल न करें, सोशल नेटवर्किग साइट पर होने वाले फ्राड की जानकारी दी तथा साइबर अपराध से तत्काल सुरक्षा व शिकायत दर्ज के लिए साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 के बारे में जानकारी दी गयी साथ ही साइबर फ्रॉड होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी वेवसाइट www.cybercrime.gov.in की भी जानकारी दी गयी। समस्त प्रकार के साइबर अपराध व उनसे बचाव के तरीकों से अवगत कराया गया व बताया गया कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सुरक्षित व सावधानी पूर्वक उपयोग करें व किसी के बहकावें में न आकर अपनी फोटो व गोपनीय जानकारी कभी अनजान व्यक्ति से साझा न करें तथा किसी भी तरीके के साइबर अपराध होने पर तत्काल इसकी शिकायत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थानें में करें। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा छात्र-छात्राओं के विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उनके कैरियर के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।